



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2013-भाद्र 22, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर

दिनांक 22 अगस्त, 2013

प्रारूप चौदह

[नियम 18 (2) देखिये]

नगर विकास योजना क्रमांक 176 के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

वि. क्र./131.—इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा इसके पूर्व मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1) में दिनांक 13 जुलाई, 2012 को प्रकाशित विज्ञापित के संदर्भ में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-50 की उप-धारा (3) के अधीन निम्नांकित ग्राम एवं खसरा नम्बरों की दर्शित भूमि के संबंध में एक नगर विकास योजना का प्रारूप तैयार किया गया है।

योजना क्रमांक 176 में ग्राम बड़ा बांगड़दा, पालाखेड़ी, लिम्बोदागारी, टिगरिया बादशाह, तहसील हातौद, जिला इन्दौर एवं ग्राम भंवरासला, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के निम्नांकित खसरा नम्बरों की भूमि सम्मिलित हैं:—

ग्राम बड़ा बांगड़दा के खसरा नम्बर:—356 पार्ट, 499 पार्ट, 500 पार्ट, 501 पार्ट, 502, 503, 504 पार्ट, 505 पार्ट, 506 पार्ट, 510 पार्ट, 511 पार्ट, 513 पार्ट, 514 पार्ट, 515, 516, 517, 518 पार्ट, 519 पार्ट, 521 पार्ट, 557 पार्ट, 558, 559 पार्ट, 560, 561, 562, 563, 564 पार्ट, 565, 566, 567, 568, 569 पार्ट, 570 पार्ट, 571 पार्ट, 572 पार्ट, 573, 574, 575 पार्ट, 576 पार्ट, 577 पार्ट, 579 पार्ट, 580 पार्ट, 581 पार्ट, 582 पार्ट, 585 पार्ट, 586 पार्ट, 593 पार्ट, 598 पार्ट, 599 पार्ट, 600, 601, 602, 603, 604 पार्ट, 605 पार्ट, 612 पार्ट, 613 पार्ट, 614 पार्ट, 615 पार्ट, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623 पार्ट, 624 पार्ट, 625 पार्ट, 638 पार्ट, 639, 640, 641 पार्ट, 642 पार्ट, 643 पार्ट, 644 पार्ट, 645 पार्ट, 646 पार्ट, 707 पार्ट.

ग्राम पालाखेड़ी के खसरा नम्बर:—234/333 पार्ट, 236 पार्ट, 238 पार्ट, 239 पार्ट, 240 पार्ट, 241 पार्ट, 242, 243, 244 पार्ट, 245 पार्ट, 246 पार्ट, 247 पार्ट, 250 पार्ट, 251 पार्ट, 280 पार्ट, 281, 282 पार्ट, 283, 284, 285 पार्ट, 286 पार्ट, 290 पार्ट, 291, 292 पार्ट, 293 पार्ट, 316 पार्ट, 317 पार्ट, 318 पार्ट, 319, 320, 321 पार्ट, 322, 323 पार्ट, 324, 325 पार्ट, 326 पार्ट, 327 पार्ट, 328 पार्ट, 330 पार्ट, 332 पार्ट.

ग्राम लिम्बोदागारी के खसरा नम्बर:—194 पार्ट, 485 पार्ट, 486 पार्ट, 488.

ग्राम टिगरिया बादशाह के खसरा नम्बर:—1 पार्ट, 76 पार्ट.

ग्राम भंवरासला के खसरा नम्बर:—90.

उक्त नगर विकास योजना के प्रारूप की एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिये उपलब्ध है—

1. कार्यालय, इन्दौर विकास प्राधिकारी, प्राधिकरण भवन, 7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर.
2. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इन्दौर.
3. कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर.

किसी भी ऐसी आपत्ति अथवा सुझाव पर जो उक्त योजना से प्रभावित किसी भी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि ऐसी वांछा करे इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जावेगा.

(320-बी.)

दीपकसिंह,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

अन्य सूचनाएं**सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म/मैसर्स—जनकनन्दनी कंस्ट्रक्शन, 501, सुरेश नगर, थाटीपुर, लश्कर, ग्वालियर का वर्तमान कार्यस्थल जो कि 501, सुरेश नगर, थाटीपुर, लश्कर, ग्वालियर था. दिनांक 29 जुलाई, 2013 से नवीन स्थल ए-8, विनय नगर, सेक्टर नम्बर-4, जेल रोड, ग्वालियर पर परिवर्तित किया जा रहा है. सर्व-साधारण एवं आमजन सूचित हों.

(321-बी.)

फर्म/मैसर्स-जनकनन्दनी कंस्ट्रक्शन,
सुमित उपाध्याय, (भागीदार)
द्वारा अनिल अग्रवाल (एडवोकेट),
खुर्जेवाला मोहल्ला, दौलतगंज, लश्कर,
ग्वालियर मध्यप्रदेश.

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म नीमच पेट्रोल पम्प, स्थान महु रोड, नीमच (म. प्र.) में दिनांक 04 जून, 2011 को नवीन भागीदार श्री संश्रय शर्मा पुत्र श्री यशपाल शर्मा, निवासी नीमच इस फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. सर्व जन सूचित हों.

(322-बी.)

फर्म नीमच पेट्रोल पम्प,
नासिर हुसैन,
(भागीदार)
महु रोड, नीमच (म. प्र.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार श्री सोहन लाल पारीख पिता श्री हुकुमचंद पारीख दिनांक 01 अप्रैल, 1968 से एवं विजय कुमार पिता श्री धूलचंद पारीख दिनांक 01 जनवरी, 1970 से (दोनों निवासी—34/2, न्यू पलासिया, इन्दौर) एवं श्रीमती सीमा पति श्री मनोज कुमार बड़जात्या एवं गौतम पिता श्री प्रकाशचन्द बड़जात्या (दोनों निवासी—146, जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर) दिनांक 01 अप्रैल, 1990 से मैसर्स धनलक्ष्मी केमिकल इन्डस्ट्रीज, इन्दौर (पता—1. परदेशीपुरा, इन्दौर जिसका रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में पंजीयन क्रमांक 172, दिनांक 25 अप्रैल, 1968 है) में भागीदार थे. ये सभी भागीदार 01 अप्रैल, 1993 से उक्त फर्म की भागीदारी से निकल गये थे जिसके साक्ष्य में 01 अप्रैल, 1993 को इन सभी ने निवृत्तीकरण दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए थे. दिनांक 01 अप्रैल, 1993 से उक्त फर्म के किसी भी निर्णय, सम्पत्ति, लेनदार एवं देनदारी में/से हमारे पक्षकारों का कोई लेना/देना नहीं है. यह सूचना दिनांक 01 अप्रैल, 1993 से जो भागीदार थे उन्हें देना थी पर त्रुटिवश उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए हम सर्व-साधारण को सूचित कर रहे हैं. हम यह भी सूचित कर रहे हैं कि गौतम पिता श्री प्रकाशचन्द बड़जात्या का निधन दिनांक 04 जून, 2009 को हो गया था.

(319-बी.)

कपिल शर्मा,
(हार्डकोर्ट एडवोकेट)
10, नन्दलालपुरा, इन्दौर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सी. पी. डवलपर्स, दिनांक 09 जून, 2010 से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म (रजि. नं. 02/42/01/00082/10) के रूप में कार्य कर रही है। जिसे कि पूर्व में दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 को तथा दिनांक 04 फरवरी, 2011 तथा दिनांक 19 अगस्त, 2011 को संशोधित किया जा चुका है। अब पुनः संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 22 जून, 2012 द्वारा—(1) श्री बृजमोहन लड्डा पुत्र स्व. श्री पी.डी. लड्डा, आयु 53 वर्ष, निवासी—बी-17, आर. पी. कॉलोनी, ग्वालियर, (2) श्री शशिदत्त गगरानी पुत्र श्री सोमदत्त गगरानी, आयु 42 वर्ष, निवासी—36, दुर्गापुरी, तानसेन रोड, ग्वालियर, (3) श्री अमृत माहेश्वरी पुत्र श्री घनश्याम दास माहेश्वरी, आयु 36 वर्ष, निवासी—59, दुर्गापुरी, तानसेन रोड, ग्वालियर स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर हट रहे हैं। इस तरह संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 22 जून, 2012 द्वारा उपरोक्त फर्म में निम्नलिखित साझेदारी दिनांक 22 जून, 2012 से वर्तमान में साझेदार है। (1) श्री नवीन शिवहरे पुत्र श्री चिरोँजीलाल शिवहरे, आयु 30 वर्ष, निवासी—एम-40, गाँधी नगर, ग्वालियर, (2) श्री प्रवीन शिवहरे पुत्र श्री चिरोँजीलाल शिवहरे, आयु-36 वर्ष, निवासी—एम-40, गाँधी नगर, ग्वालियर, (3) श्री महेश भारद्वाज पुत्र श्री मुन्नालाल भारद्वाज, आयु 46 वर्ष, निवासी-28, ललितपुर कॉलोनी, ग्वालियर, (4) श्री रोहित वाधवा पुत्र श्री पी. सी. वाधवा, आयु 37 वर्ष, निवासी—कृष्णकुंज, गाँधी रोड, ग्वालियर, (5) श्री आदित्य जाजू पुत्र डॉ. पुरुषोत्तम जाजू, आयु 28 वर्ष, निवासी—रॉयल हॉस्पिटल, कम्पू रोड, लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.) तथा फर्म का पंजीकृत पता “कृष्णकुंज, गाँधी रोड, ग्वालियर” रहेगा।

हर आम खास व्यक्ति सूचित हो।

मैसर्स सी. पी. डवलपर्स,

नवीन शिवहरे,

(पार्टनर)

कृष्णकुंज, गाँधी रोड, ग्वालियर (म. प्र.).

(326-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मैं, राजेन्द्र सिंह, निवासी—1761 (नया), लक्ष्मी कॉलोनी, गुप्तेश्वर वार्ड ने अपने नाम के साथ उपनाम, लगाकर नाम परिवर्तित राजेन्द्र सिंह परमार कर लिया है। अतः अब मुझे मेरे नये नाम राजेन्द्र सिंह परमार से जाना जावे एवं सभी सरकारी, गैर सरकारी व अन्य दस्तावेजों में लिखा-पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(राजेन्द्र सिंह)

(323-बी.)

नया नाम :

(राजेन्द्र सिंह परमार)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सैय्यद मोहम्मद अरशद रब्बानी पिता सैय्यद मोहम्मद दाऊद कादरी, निवासी—2373, शरफाबाद, पसियाना, शास्त्री वार्ड, जबलपुर ने अपने नाम में विधिवत् परिवर्तन करवा लिया है।

अतः आज दिनांक से मुझे सैय्यद मोहम्मद अरशद रब्बानी के स्थान पर सैय्यद अरशद रब्बानी नाम से जाना व पहचाना जावे एवं मेरे सभी दस्तावेजों/रिकार्डों में मेरा यही नाम सैय्यद अरशद रब्बानी दर्ज किया जावे।

पुराना नाम :

(सैय्यद मोहम्मद अरशद रब्बानी)

(324-बी.)

नया नाम :

(सैय्यद अरशद रब्बानी)

निवासी—2373, शरफाबाद (पसियाना)

शास्त्री वार्ड, जबलपुर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सफीना बानो पत्नी सैय्यद अरशद रब्बानी, निवासी—2373, शरफाबाद, पसियाना, शास्त्री वार्ड, जबलपुर ने अपने नाम में विधिवत् परिवर्तन करवा लिया है।

अतः आज दिनांक से मुझे श्रीमती सफीना बानो के स्थान पर श्रीमती आयशा तलत के नाम से जाना व पहचाना जावे एवं मेरे सभी दस्तावेजों/रिकार्डों में मेरा यही नाम (श्रीमती आयशा तलत पत्नी सैय्यद अरशद रब्बानी) दर्ज किया जावे।

पुराना नाम :

(सफीना बानो)

(325-बी.)

नया नाम :

(आयशा तलत)

निवासी—2373, शरफाबाद (पसियाना),

शास्त्री वार्ड, जबलपुर (म. प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, फरीद खान ने अपना नाम परिवर्तन कर फरीद बेग कर लिया है. अतः अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(फरीद खान)

नया नाम :

(फरीद बेग)

पिता जहुर बेग,

4, बांजीपुरा, शाजापुर (म. प्र.).

(327-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम शांतिलाल भंसारी पिता जमनालाल भंसारी था, जो अब परिवर्तित होकर शांतिलाल भंसाली पिता जमनालाल भंसाली हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम शांतिलाल भंसाली के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(शांतिलाल भंसारी)

नया नाम :

(शांतिलाल भंसाली)

पिता जमनालाल भंसाली,

पता—270, पीरगली, सिरेमल बाफना मार्ग,

इंदौर (म. प्र.).-452001

(328-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम जीशान सिद्दीकी था लेकिन मेरी समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम अब्दुल रहमान सिद्दीकी है, भविष्य में मुझको अब्दुल रहमान सिद्दीकी से जाना जाए.

पुराना नाम :

(जीशान सिद्दीकी)

आत्मज श्री सुल्तान अजीज सिद्दीकी

नया नाम :

(अब्दुल रहमान सिद्दीकी)

आत्मज श्री सुल्तान अजीज सिद्दीकी,

पता—37, आजाद मोटर वर्कशॉप के पीछे,

नियर पुलिस स्टेशन, शाहजानाबाद, भोपाल (म. प्र.).

(329-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मुझे HANNI GULWANI (हनी गुलवानी) के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था. अब मुझे वर्तमान में HANNI VASUDEV GULWANI (हनी वासुदेव गुलवानी) के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(हनी गुलवानी)

(HANNI GULWANI)

नया नाम :

(हनी वासुदेव गुलवानी)

(HANNI VASUDEV GULWANI)

बी-19, टाईप-II, डॉक्टर क्वार्टर,

भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल,

नियर करोंद, भोपाल (म. प्र.).

(330-बी.)

उप नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मुझे GOVIND SINGH CHADHAR (गोविन्द सिंह चढार) के नाम से जाना जाता था जो अब बदलकर GOVIND SINGH PAWAR (गोविन्द सिंह पंवार) हो गया है. अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम GOVIND SINGH PAWAR (गोविन्द सिंह पंवार) के नाम से जाना जाये है.

पुराना नाम :

(गोविन्द सिंह चढार)

(GOVIND SINGH CHADHAR)

नया नाम :

(गोविन्द सिंह पंवार)

(GOVIND SINGH PAWAR)

पता—म. नं. डी-45, टाईप V,

भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल,

नियर करोंद, भोपाल (म. प्र.).

(331-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 2013

अल्प अवधि निविदा सूचना (द्वितीय)

क्र.जी.बी.चार/मशी. (9) 2013-14/3018.—ऑनलाईन बिडिंग एवं तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा की सीलबंद हार्डकॉपी (पृथक्-पृथक् लिफाफों में) निर्माता या उनके अधिकृत एजेंट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल एवं शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा हेतु निर्धारित तकनीकी विवरण की सिंगल कलर शीट फेड ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, फोर कलर शीटफेड ऑफसेट मशीन, फोर कलर वेब ऑफसेट मशीन विथ फोल्डर एवं शीटर, वेब ऑफसेट मशीन, परफेक्ट बाईण्डर एवं गोदरिंग मशीन सहायक उपकरण सहित क्रय हेतु आमंत्रित की जाती है।

2. टेण्डर फॉर्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबन्ध का प्रारूप वेबसाईड www.tenders.gov.in, www.govtpressmp.nic.in पर अवलोकन हेतु एवं ऑनलाईन बिडिंग [https:// mpeprocurement.com](https://mpeprocurement.com) पर किया जा सकता है।

3. समस्त पूर्तियों के उपरान्त निविदा की हार्ड कॉपी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। टेक्निकल टेण्डर लिफाफा-अ की हार्ड कॉपी एवं ऑनलाईन टेण्डर उसी दिनांक 17 सितम्बर, 2013 को अपराह्न 4.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेंगी।

(468)

Bhopal, Dated 30th August, 2013

SHORT TENDER NOTICE (SECOND)

No. GB-IV/Machinery/(9)/ 2013-14/3018.— ONLINE and Sealed Technical & Commercial (seperately) tenders are invited from the manufacturers or their Agents/Authorised Dealers for the supply of **Sheet Fed Offset printing Machine Single Colour, Four Colour Sheetfed Offset Machine, Web Offset Printing Machine Four Colour Perefector Unit with Folder and Sheeter, web Offset Printing Machine with web width 610 M. M. (Max) and Cut of Sixe 430 M. M., Multi Colour Perfect Binder with 6 Book Clamps, Gathering Machine with 12 Stations & Double Head Stitching and All Accessories for the Govt. Central Press, Bhopal, Govt. Regional Press, Gwalior, Indore and Rewa.**

2. Tender Document and agreement details of tender are available at website www.tenders.gov.in, www.govtpressmp.nic.in and for Online Bidding go through [https:// mpeprocurement.com](https://mpeprocurement.com).

3. In all respects complete tender document (Hard Copy) must be received at the office of undersigned latest by 3.00 PM on 17th September, 2013 and the Envelop 'A' Hard Copy of Technical tender will be opened ONLINE on the same day i.e. 17th September, 2013 at 4.00 PM in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

AJIT KESARI,

Controller,

Govt. Printing and Stationery,

Madhya Pradesh, Bhopal.

(468-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

श्री प्रजापति लश्करी समाज सामाजिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट अम्मार नगर, सिरपुर, धार रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश कार्यालय 221, जवाहर मार्ग, राज मोहल्ला, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री लक्ष्मीनारायण (मुन्ना भैया) पिता रामचंद्र प्रजापति, निवासी 221, जवाहर मार्ग, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री प्रजापति लश्करी समाज सामाजिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट अम्मार नगर, सिरपुर, धार रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
पता	:	221, जवाहर मार्ग, राज मोहल्ला, इन्दौर मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 1100/- (अक्षरी रुपये एक हजार एक सौ मात्र).

आज दिनांक 13 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(455)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

श्रीमती नेहा सिद्धार्थ मेहता, जीवदया ट्रस्ट, कार्यालय 144, रामचन्द्र नगर एक्स. इन्दौर, की ओर से श्रीमती कनकलता पति दलपत सिंह मेहता, निवासी 144, रामचन्द्र नगर, एक्स. इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्रीमती नेहा सिद्धार्थ मेहता, जीवदया ट्रस्ट.
पता	:	144, रामचन्द्र नगर, एक्स. इन्दौर.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	5,000/- (अक्षरी रुपये पांच हजार मात्र).

आज दिनांक 13 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विजय कुमार अग्रवाल,
रजिस्ट्रार.

(455-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जौरा, जिला मुरैना

जौरा, दिनांक 06 मई, 2013

प्रारूप-चार

प्र.क्र /2012-13/बी-113 (1)1897.

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री सुगनचन्द जैन, अध्यक्ष व अन्य न्यासधारी ग्राम सुमावली, तहसील जौरा, जिला मुरैना द्वारा मन्दिर श्री दिगम्बर जैन बैरैया पंचान सुमावली परमार्थ लोक न्यास ग्राम सुमावली, तहसील जौरा, जिला मुरैना ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का क्र. 30) की

धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति का पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 22 जून, 2013 को विचार किया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

मन्दिर श्री दिगम्बर जैन बैरैया पंचान सुमावली परमार्थ लोक न्यास ग्राम सुमावली, तहसील जौरा, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) प्रारम्भिक निधि के रूप में चल सम्पत्ति रुपये 11,000/- (ग्यारह हजार रुपये) बताई गई है तथा अचल सम्पत्ति की जानकारी भी प्रदर्शित की गई है।

अतः यह सूचना-पत्र जारी किया जाता है।

(456)

प्रभात रंजन उपाध्याय,
अनुविभागीय अधिकारी।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, लोक न्यास, रतलाम

प्र. क्र. 01/बी-113(1)/2012-13.

फॉर्म-4

[नियम (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) के तहत]

आवेदक श्री ठाकुर नारायण सिंह पिता ठा. दलपतसिंह राणावत, निवासी—ग्राम धोलका, तहसील व जिला रतलाम द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर श्री नागेश्वर महादेव मंदिर न्यास ग्राम धोलका, तहसील व जिला रतलाम के नाम से न्यास पंजीयन हेतु निवेदन किया गया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को की जावेगी।

अतएव जिस किसी व्यक्ति/संस्था/ट्रस्ट को इस संबंध में रुचि/आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिवक्ता/एजेंट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समय समाप्त होने पर आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(लोक न्यास का नाम/पता/ सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. न्यास का पूरा नाम | : | श्री नागेश्वर महादेव मंदिर न्यास ग्राम धोलका, तहसील व जिला रतलाम. |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |
| 3. चल सम्पत्ति | : | नगद राशि रुपये 6,000/- (रुपये छः हजार) |

(457)

दिनेशचन्द्र सिंघी,
रजिस्ट्रार.

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 08 अगस्त, 2013

रा. प्र. क्र. बी-113 वर्ष 2012-13.

मौजा बालाघाट प.ह.नं.-13/2.

क्र./1927/प्रस्तुत्कार-1/2013.—यहकि सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यासकर्ता, अध्यक्ष श्री नरेन्द्र मिश्रा, बालाघाट सचिव श्री विजय तिवारी, सह सदस्यगण “श्री हनुमान मंदिर न्यास बालाघाट ट्रस्ट” बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951-30 की धारा-4) के अन्तर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 30 अगस्त, 2013 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास की सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

ग्राम का नाम	प.ह.न.	चल सम्पत्ति	विवरण
नगर बालाघाट	13/2	बैंक कापारेटिव बैंक में जमा एफ डी-1,15,500.00 रु. बैंक सेविंग खाते में जमा रु. 2,29,310.00 कुल जमा राशि 3,44,810 रु.	श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट हनुमान चौक बालाघाट अध्यक्ष- श्री नरेन्द्र मिश्रा निवासी बालाघाट म.प्र.

आज दिनांक 29 जुलाई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित से जारी किया गया.

(458)

आर. सी. रांहगडाले,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल, दतिया

सर्व-साधारण जनता एवं पशु चराने वालों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वृक्षारोपणों/कूपों को दिनांक 1 जुलाई, 2013 से 30 जून, 2014 तक के लिये चराई से वर्जित क्षेत्र घोषित किया जाता है, जो व्यक्ति इन वर्जित क्षेत्रों में पशु चराई करायेगा उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-26 व 33 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दण्डित किया जावेगा:—

चराई से वर्जित क्षेत्रों की सूची वर्ष 2013-14

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	वृक्षारोपण का नाम	कक्ष क्र.	वर्ष	क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	
					(हैक्टर में)	
1.	सेंवड़ा	जरा	कूप क्र.-III	P-5	2008-09	141.07
2.	सेंवड़ा	डिरोलीपार	कूप क्र.-III	P-9	2008-09	164.92
3.	सेंवड़ा	मदनपुरा	कूप क्र.-III	P-24	2008-09	117.67
4.	सेंवड़ा	गुमानपुरा	कूप क्र.-III	P-1	2008-09	112.72
5.	सेंवड़ा	मदनपुरा	कूप क्र.-III	P-10	2008-09	155.70
6.	सेंवड़ा	जरा	कूप क्र.-III	P-11	2008-09	105.07
7.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर	कूप क्र.-III	P-18	2008-09	121.95
8.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर	कूप क्र.-III	P-21	2008-09	126.67
9.	सेंवड़ा	मरसेनी	कूप क्र.-III	32	2008-09	188.35
10.	सेंवड़ा	बिलासपुर	कूप क्र.-III	40	2008-09	133.29
11.	सेंवड़ा	भरसूला	कूप क्र.-III	42	2008-09	92.26
12.	दतिया	चक बहादुरपुर	कूप क्र.-III	P-49	2008-09	141.30
13.	दतिया	सिरोल	कूप क्र.-III	P-55	2008-09	209.10
14.	दतिया	चौपरा	कूप क्र.-III	P-60	2008-09	164.26
15.	दतिया	सेरसा	कूप क्र.-III	P-71	2008-09	136.35
16.	गोराघाट	गोरा	कूप क्र.-III	93	2008-09	111.60
17.	गोराघाट	हिनोतिया	कूप क्र.-III	P-100	2008-09	110.02

1	2	3	4	5	6	
					(हैक्टर में)	
18.	गोराघाट	हिंडोरा	कूप क्र.-III	P-103	2008-09	139.27
19.	दतिया	चौपरा	कूप क्र.-III	P-66	2008-09	135.67
20.	दतिया	पलोथर	कूप क्र.-III	P-80	2008-09	148.51
21.	गोराघाट	बड़ोनी	कूप क्र.-III	108/110	2008-09	71.33
22.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर		पी-21	2009-10	64.000
23.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर		पी-19	2009-10	87.870
24.	सेंवड़ा	रोशनपुरा		पी-12	2009-10	50.000
25.	सेंवड़ा	गुमानपुरा		पी-1	2009-10	64.000
26.	सेंवड़ा	मदनपुरा		पी-14	2009-10	64.000
27.	सेंवड़ा	ढिमरपुरा		पी-23	2009-10	64.000
28.	सेंवड़ा	डांगडिरोली		पी-25	2009-10	64.000
29.	सेंवड़ा	रिपोली		पी-26	2009-10	64.000
30.	सेंवड़ा	चित्तार्ई		पी-29	2009-10	64.000
31.	सेंवड़ा	खमरोली		पी-27	2009-10	62.000
32.	गोराघाट	ओरीना		पी-105	2009-10	100.000
33.	गोराघाट	हिनोतिया		पी-102	2009-10	114.750
34.	गोराघाट	चौकी		पी-94	2009-10	69.750
35.	सेंवड़ा	धोर्ा		33	2009-10	59.070
36.	सेंवड़ा	टोड़ा पहाड़		34	2009-10	50.000
37.	सेंवड़ा	बराबुजुर्ग		पी-37	2009-10	50.000
38.	सेंवड़ा	रजौरा		43	2009-10	38.020
39.	सेंवड़ा	बिलासपुर		40	2009-10	70.000
40.	सेंवड़ा	गोविन्द नगर		41	2009-10	64.320
41.	दतिया	सिरोल		पी-56	2009-10	80.000
42.	दतिया	रेडा/झडिया		पी-51	2009-10	40.000
43.	दतिया	झिरकाबांग		पी-52	2009-10	40.000
44.	दतिया	बिडनिया		पी-53	2009-10	40.000
45.	दतिया	घरावा		पी-72	2009-10	40.000
46.	दतिया	चक्रबहादुरपुर		पी-49	2009-10	40.000
47.	दतिया	सेरसा		पी-71	2009-10	50.000
48.	दतिया	जिगना		पी-68	2009-10	45.000
49.	दतिया	चौपरा		पी-64	2009-10	48.000
50.	दतिया	बाजनी		पी-61	2009-10	48.000
51.	दतिया	दुर्गापुर		पी-78	2009-10	45.000
52.	दतिया	चक्ररामसागर		पी-57	2009-10	42.975

1	2	3	4	5	6
					(हेक्टर में)
53.	दतिया	गुजरा	पी-74	2009-10	43.925
54.	गोराघाट	निचरौली	पी-113	2009-10	50.000
55.	गोराघाट	बड़ौनी	पी-109	2009-10	85.250
56.	दतिया	उदगुवा	पी-81	2009-10	104.690
57.	दतिया	सलैयापवार	पी-79	2009-10	82.680
58.	दतिया	डांगकरैरा	पी-76	2009-10	62.000
59.	दतिया	चौपरा	पी-67	2009-10	64.530
60.	दतिया	मुड़रा	पी-92	2009-10	37.500
61.	गोराघाट	बड़ौनी	पी-109	2009-10	153.300
62.	दतिया	रेडा झड़िया	पी-51	2009-10	15.000
63.	दतिया	बाजनी	पी-61	2009-10	15.000
64.	सेंवड़ा		आर-40	2009-10	15.000
65.	सेंवड़ा	जरा	पी-5	2010-11	113.180
66.	सेंवड़ा	डोंगरपुर	पी-28	2010-11	188.560
67.	सेंवड़ा	डिरोलीपार	पी-9	2010-11	180.900
68.	सेंवड़ा	रोशनपुरा	पी-2	2010-11	92.470
69.	सेंवड़ा	रिपोली	पी-17	2010-11	137.920
70.	सेंवड़ा	डिमरपुरा	पी-22	2010-11	140.670
71.	सेंवड़ा	रिपोली	पी-26	2010-11	121.880
72.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-19	2010-11	100.350
73.	दतिया	जिगना	पी-68	2010-11	116.720
74.	दतिया	उदगुवा	पी-81	2010-11	161.770
75.	दतिया	मुड़रा	पी-87	2010-11	22.050
76.	गोराघाट	बड़ौनी	पी-111	2010-11	..
77.	दतिया	धोरा	33	2010-11	115.660
78.	दतिया	विलासपुर	40	2010-11	98.550
79.	दतिया	धनोली	44	2010-11	94.700
80.	दतिया	चक्र रामसागर	पी-57	2010-11	160.160
81.	दतिया	बाजनी	पी-61	2010-11	113.180
82.	दतिया	घरावा	पी-72	2010-11	57.380
83.	दतिया	रेडा/झड़िया	पी-50	2010-11	40.000
84.	गोराघाट	गोराकोटरा	95	2010-11	63.900
85.	गोराघाट	हिनौतिया	पी-102	2010-11	99.890
86.	गोराघाट	ओरीना	पी-105	2010-11	124.200

1	2	3	4	5	6
					(हैक्टर में)
87.	गोराघाट	हिनोतिया	पी-100	2010-11	10.000
88.	दतिया	भूता	पी-52	2010-11	20.000
89.	सेंवड़ा	डिरोलीपार	पी-24	2010-11	10.000
90.	सेंवड़ा	पनकुँआ	पी-30	2010-11	10.000
91.	सेंवड़ा	पनकुँआ	पी-29	2010-11	25.000
92.	गोराघाट	डंगराकुँआ	पी-98, I	2010-11	25.000
93.	गोराघाट	डंगराकुँआ	पी-98, II	2010-11	25.000
94.	गोराघाट	डंगराकुँआ	पी-98, III	2010-11	25.000
95.	सेंवड़ा	ढिमरपुरा	पी-22	2010-11	35.000
96.	सेंवड़ा	रोशनपुरा	पी-02	2010-11	50.000
97.	दतिया	उदगवां	पी-80	2010-11	51.440
98.	सेंवड़ा	जरा	पी-5	2011-12	168.750
99.	सेंवड़ा	डोगरपुर	पी-28	2011-12	127.570
100.	सेंवड़ा	डिरोलीपार	पी-15	2011-12	205.430
101.	सेंवड़ा	रोशनपुरा	पी-2	2011-12	118.580
102.	सेंवड़ा	मदनपुरा	पी-14	2011-12	95.620
103.	सेंवड़ा	रिपोली	पी-26	2011-12	120.900
104.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-20	2011-12	135.450
105.	सेंवड़ा	ढिमरपुरा	पी-22	2011-12	128.250
106.	दतिया	जिगना	पी-68	2011-12	118.850
107.	दतिया	उदगुवा	पी-82	2011-12	83.930
108.	दतिया	मुडुरा	पी-88	2011-12	58.500
109.	दतिया	पहाड़	34	2011-12	138.150
110.	गोराघाट	विलासपुर	40	2011-12	156.370
111.	गोराघाट	धनोली	44	2011-12	133.420
112.	दतिया	चक्र रामसागर	पी-57	2011-12	108.460
113.	दतिया	बाजनी	पी-63	2011-12	89.340
114.	दतिया	घरावा	पी-72	2011-12	131.620
115.	दतिया	रेडा/झडिया	पी-51	2011-12	132.530
116.	गोराघाट	गोराघाट	96/97	2011-12	84.370
117.	गोराघाट	हिनौतिया	पी-101	2011-12	120.600
118.	गोराघाट	ओरीना	पी-106	2011-12	105.540
119.	दतिया	रिछरा	पी-54	2011-12	50.00
120.	दतिया	सिरोल	पी-55	2011-12	50.00
121.	सेंवड़ा	धनोली	आर.-46	2011-12	50.00

1	2	3	4	5	6
					(हैक्टर में)
122.	सेंवड़ा	रिपोली	पी-26	2011-12	50.00
123.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-18	2011-12	50.00
124.	सेंवड़ा	डिरोलीपार	पी-15	2011-12	50.00
125.	सेंवड़ा	डिरोलीपार	पी-9	2011-12	156.00
126.	दतिया	गुजरा	पी-73-74	2011-12	240.00
127.	दतिया	उदगुवां	पी-82-83	2011-12	300.00
128.	गोराघाट	बड़ोनी	पी-111	2011-12	300.00
129.	गोराघाट	निचरोली	पी-113	2011-12	300.00
130.	दतिया	चौपरा	पी-64	2011-12	15.00
131.	गोराघाट	हिनोतिया	पी-103	2011-12	20.00
132.	सेंवड़ा	मरसेनी	आर-35	2011-12	15.00
133.	सेंवड़ा	ग्राम डोंगरपुर	सर्वे क्र. 61	2011-12	0.915
134.	सेंवड़ा	ग्यारा	पी-6	2012-13	161.100
135.	सेंवड़ा	डोगरपुर	पी-28	2012-13	133.870
136.	सेंवड़ा	मदनपुरा	पी-15	2012-13	165.600
137.	सेंवड़ा	रोशनपुरा	पी-3	2012-13	116.940
138.	सेंवड़ा	मदनपुरा	पी-14	2012-13	0.000
139.	सेंवड़ा	रिपोली	पी-26	2012-13	120.600
140.	सेंवड़ा	लोकेन्द्रपुर	पी-20	2012-13	141.300
141.	सेंवड़ा	ढिमरपुरा	पी-22	2012-13	127.120
142.	दतिया	डांग करैरा	पी-76	2012-13	145.230
143.	दतिया	उदगुवा	पी-82	2012-13	134.550
144.	दतिया	मुडुरा	पी-89	2012-13	25.200
145.	गोराघाट	निचरोली	पी-112	2012-13	183.150
146.	दतिया	पहाड़	34	2012-13	197.500
147.	गोराघाट	गोविन्द नगर	41	2012-13	102.660
148.	गोराघाट	रजौरा	45	2012-13	138.820
149.	दतिया	चक्र रामसागर	पी-57	2012-13	106.650
150.	दतिया	चौपरा	पी-64	2012-13	104.950
151.	दतिया	गुजरा	पी-73	2012-13	173.470
152.	दतिया	झिरकाबाग	पी-51	2012-13	139.270
153.	गोराघाट	डंगराकुंआ	98	2012-13	120.150
154.	गोराघाट	हिनोतिया	पी-101	2012-13	105.970
155.	गोराघाट	ओरीना	पी-106	2012-13	107.100

1	2	3	4	5	6
					(हैक्टर में)
156.	गोराघाट	गोरा कोटरा	आर-93	2012-13	150.00
157.	सेंवढा	गोविन्द नगर	आर-41	2012-13	100.00
158.	दतिया	झिरकाबाग	पी-51	2012-13	100.00
159.	दतिया	रिछरा	पी-54	2012-13	100.00
160.	दतिया	सेरसा	पी-71	2012-13	50.00
161.	दतिया	लरायटा	पी-75	2012-13	50.00
162.	दतिया	सलैया पवार	आर-79	2012-13	150.00
163.	सेंवढा	ग्राम डोंगरपुर	सर्वे क्र.83	2012-13	2.016
164.	सेंवढा	ग्यारा	पी-6	2013-14	139.050
165.	सेंवढा	डोंगरपुर	पी-28	2013-14	139.500
166.	सेंवढा	डिरोलीपार	पी-16	2013-14	181.120
167.	सेंवढा	रोशनपुरा	पी-3	2013-14	112.050
168.	सेंवढा	मदनपुरा	पी-14	2013-14	117.380
169.	सेंवढा	खमरौली	पी-27	2013-14	164.470
170.	सेंवढा	लोकेन्द्रपुर	पी-20	2013-14	135.350
171.	सेंवढा	ढिमरपुरा	पी-22	2013-14	113.130
172.	सेंवढा	पहाड़	पी-35	2013-14	152.780
173.	सेंवढा	गोविन्द नगर	पी-41	2013-14	135.000
174.	सेंवढा	रजौरा	पी-45	2013-14	108.230
175.	गोराघाट	निचरौली	पी-112	2013-14	177.300
176.	गोराघाट	डंगराकुंआ	पी-98	2013-14	139.050
177.	गोराघाट	हिनौतिया	पी-101	2013-14	102.050
178.	गोराघाट	ओरीना	पी-106	2013-14	124.420
179.	दतिया	मुड़रा	पी-90	2013-14	53.780
180.	दतिया	उदगवां	पी-82	2013-14	65.370
181.	दतिया	जिगना	पी-76	2013-14	120.000
182.	दतिया	गुजर्ग	पी-74	2013-14	74.000
183.	दतिया	चौपरा	पी-64	2013-14	112.366
184.	दतिया	चक रामसागर	पी-58	2013-14	205.900
185.	दतिया	झिर का बाग	पी-52	2013-14	119.250
186.	दतिया	चौपरा	पी-60-61	2013-14	90.000

कार्यालय संयुक्त-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

शास. कमलाराजा कन्या (स्नातकोत्तर)महाविद्यालय प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/AR/GWR/836, दिनांक 22 मई, 1996, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2829, दिनांक 25 नवम्बर, 2002 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक द्वारा विधिवत् कार्यवाही सम्पन्न कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण प्रस्तुत किया है.

अतः मैं, आर. सी. शर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-18 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शास. कमलाराजा कन्या (स्नातकोत्तर)महाविद्यालय प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर का आदेश जारी करने के दिनांक से पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(459)

आर. सी. शर्मा,
सहायक रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धुनवारा (पंजीयन क्रमांक-593, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लुठौती (पंजीयन क्रमांक-588, दिनांक 04 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की

धारा-69(2)के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-A)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मगरौरा (पंजीयन क्रमांक-603, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-B)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुसेडी (पंजीयन क्रमांक-605, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-C)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इटमा (पंजीयन क्रमांक-599, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(460-D)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरदासपुर (पंजीयन क्रमांक-620, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(460-E)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुटाई (पंजीयन क्रमांक-621, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-F)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हिनौती क्र.01 (पंजीयन क्रमांक-681, दिनांक 31 जनवरी, 2011) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-G)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उदयपुर (पंजीयन क्रमांक-589, दिनांक 04 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-H)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनवाही (पंजीयन क्रमांक-602, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-I)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हिनौतीकला (पंजीयन क्रमांक-595, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-J)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खैरा (पंजीयन क्रमांक-594, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(460-K)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डेल्हा (पंजीयन क्रमांक-612, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(460-L)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करहिया कला (पंजीयन क्रमांक-582, दिनांक 30 सितम्बर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही करदी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-M)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरही जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरही (पंजीयन क्रमांक-616, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही करदी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-N)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंशीपुर जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंशीपुर (पंजीयन क्रमांक-650, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही करदी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-O)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुमहरिया जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुमहरिया (पंजीयन क्रमांक-640, दिनांक 23 नवम्बर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही करदी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-P)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बठिया, जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बठिया (पंजीयन क्रमांक-651, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही करदी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-Q)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धतुरा जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धतुरा (पंजीयन क्रमांक-608, दिनांक 11 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही करदी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-R)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनेड़ी, जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनेड़ी (पंजीयन क्रमांक-613, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही करदी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-S)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मौदहा जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मौदहा (पंजीयन क्रमांक-656, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही करदी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-T)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरी जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरी (पंजीयन क्रमांक-654, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही करदी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-U)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरा जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरा (पंजीयन क्रमांक-672, दिनांक 04 जनवरी, 2011) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही करदी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-V)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पहाड़ी जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पहाड़ी (पंजीयन क्रमांक-689, दिनांक 31 मार्च, 2011) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही करदी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-W)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, सतना के पत्र क्रमांक/Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरमा जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है, पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेरमा (पंजीयन क्रमांक-691, दिनांक 31 मार्च, 2011) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही करदी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(460-X)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सलैया (पंजीयन क्रमांक-596, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(460-Y)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लटागांव (पंजीयन क्रमांक-641, दिनांक 11 फरवरी, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(460-Z)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लटागांव (पंजीयन क्रमांक-604, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(461)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिलौरा (पंजीयन क्रमांक-655, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(461-A)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बदेरा (पंजीयन क्रमांक-597, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(461-B)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मनटोलवा (पंजीयन क्रमांक-615, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(461-C)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ककरा (पंजीयन क्रमांक-607, दिनांक 11 अक्टूबर, 2010) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(461-D)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अजवाइन (पंजीयन क्रमांक-693, दिनांक 31 मार्च, 2011) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(461-E)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वेल्दरा (पंजीयन क्रमांक-702, दिनांक 05 मई, 2011) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे।

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी।

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(461-F)

सतना, दिनांक 09 अप्रैल, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/437.—कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र सतना के पत्र क्रमांक Q, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है पंजीयन दिनांक से उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है अतः कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंधी (पंजीयन क्रमांक-692, दिनांक 31 मार्च, 2011) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, संजय नायक, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञापित क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत करवाता हूँ कि क्यों न संस्था के अकार्यशील होने के कारण से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)के अंतर्गत परिसमापित करते हुये धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे, इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस "कारण बताओ सूचना-पत्र" का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 10 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि संस्था को उक्त आरोप स्वीकार है एवं संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही कर दी जावेगी.

कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

संजय नायक,
उप-पंजीयक.

(461-G)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सीधी

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2000/1263, दिनांक 25 अगस्त, 2000 के द्वारा पत्थर एवं ईटा उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, चुरहट, पंजीयन क्रमांक/451, दिनांक 02 सितम्बर, 1983 को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. तदोपरान्त उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/417 सीधी, दिनांक 31 मार्च, 2011 से संस्था का परिसमापक श्री आर. एल. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को नियुक्त किया गया.

परिसमापक श्री आर. एल. द्विवेदी द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण किया जाकर, संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गयी है. उक्त प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन का परीक्षण विधि अनुरूप किया गया जो पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य पाया गया.

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञापित क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, पत्थर एवं ईटा उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, चुरहट पंजीयन क्रमांक 451, दिनांक 09 फरवरी, 1983 को एतद्वारा निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(462)

सीधी, दिनांक 30 मार्च, 2013

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/667, दिनांक 04 जून, 2012 के द्वारा रजत जंयती आदिवासी मछली पालन सहकारी समिति मर्यादित, कठास, पंजीयन क्रमांक 453, दिनांक 16 मार्च, 1984 को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण किया जाकर, संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गयी है. उक्त प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन का परीक्षण विधि अनुरूप किया गया जो पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य पाया गया.

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञापित क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, रजत जंयती आदिवासी मछली पालन सहकारी समिति मर्यादित, कठास, पंजीयन क्रमांक 453, दिनांक 16 मार्च, 1984 को एतद्वारा निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(462-A)

सीधी, दिनांक 30 मार्च, 2013

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/664, दिनांक 04 जून, 2012 के द्वारा जगन्नाथ आदिवासी मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्यादित, सलैहा, पंजीयन क्रमांक 756, दिनांक 22 नवम्बर, 1997 को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण किया जाकर, संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गयी है। उक्त प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन का परीक्षण विधि अनुरूप किया गया जो पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य पाया गया।

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञापित क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, जगन्नाथ आदिवासी मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्यादित, सलैहा, पंजीयन क्रमांक 756, दिनांक 22 नवम्बर, 1997 को एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(462-B)

सीधी, दिनांक 30 मार्च, 2013

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/666, दिनांक 04 जून, 2012 के द्वारा मछली पालन एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, कोल्हूडीह, पंजीयन क्रमांक 954, दिनांक 11 जून, 2004 को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण किया जाकर, संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गयी है। उक्त प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन का परीक्षण विधि अनुरूप किया गया जो पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य पाया गया।

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञापित क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मछली पालन एवं क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, कोल्हूडीह, पंजीयन क्रमांक 954, दिनांक 11 जून, 2004 को एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(462-C)

सीधी, दिनांक 30 मार्च, 2013

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/691, दिनांक 11 जून, 2012 के द्वारा इन्दिरा गांधी स्मृति महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहकारी समिति मर्यादित, रौझौहा, पंजीयन क्रमांक 475, दिनांक 24 फरवरी, 1988 को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। तदोपरान्त उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/1116, सीधी, दिनांक 03 सितम्बर, 2012 से संस्था का परिसमापक श्री राजेश निगम, उप-अंकेक्षक को नियुक्त किया गया।

परिसमापक श्री राजेश निगम, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण किया जाकर, संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गयी है। उक्त प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन का परीक्षण विधि अनुरूप किया गया जो पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य पाया गया।

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञापित क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, इन्दिरा गांधी स्मृति महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहकारी समिति मर्यादित, रौझौहा, पंजीयन क्रमांक 475, दिनांक 24 फरवरी, 1988 को एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(462-D)

सीधी, दिनांक 30 मार्च, 2013

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/688, दिनांक 11 जून, 2012 के द्वारा आदिवासी श्रमिक ठेका सहकारी समिति मर्यादित, सिविल लाईन सीधी, पंजीयन क्रमांक 958, दिनांक 23 जुलाई, 2004 को परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। तदोपरान्त उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/1116, सीधी, दिनांक 03 सितम्बर, 2012 से संस्था का परिसमापक श्री राजेश निगम, उप-अंकेक्षक को नियुक्त किया गया।

परिसमापक श्री राजेश निगम, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण किया जाकर, संस्था का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गयी है। उक्त प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन का परीक्षण विधि अनुरूप किया गया जो पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य पाया गया।

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञापित क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, आदिवासी श्रमिक ठेका सहकारी समिति मर्यादित, सिविल लाईन सीधी, पंजीयन क्रमांक 958, दिनांक 23 जुलाई, 2004 को एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

नरेश सिन्हा,
उप-रजिस्ट्रार.

(462-E)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी समितियां, सीधी

सीधी, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/05.—सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सीधी के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/1116, दिनांक 03 सितम्बर, 2012 के द्वारा निम्न सारणी के कॉलम नम्बर 2 पर अंकित समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

सं.क्र.	सहकारी समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापन के अंतर्गत लाये जाने का आदेश क्रमांक / दिनांक
1	2	3	4
1.	रविदास चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., बिलारो	1093/27-10-2009	687/11-06-2012
2.	महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., हडबडो	755/20-11-1997	686/11-06-2012
3.	प्राथमिक ईंधन सहकारी समिति मर्या., रामपुर नैकिन	855/23-04-2002	685/11-06-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेंव मुझे विधिवत प्रस्तुत समझे जायेंगे।

सूचना आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।-

(463)

सीधी, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/06.—सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सीधी के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/690, दिनांक 11 जून, 2012 के द्वारा निम्न सारणी के कॉलम नम्बर 2 पर अंकित समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

सं.क्र.	सहकारी समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापन के अंतर्गत लाये जाने का आदेश क्रमांक / दिनांक
1	2	3	4
1.	क्रय-विक्रय महिला सहकारी समिति मर्या., हटवा (खास)	1024/21-11-2005	482/05-04-2012

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेंव मुझे विधिवत प्रस्तुत समझे जायेंगे.

सूचना आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

(463-A)

बी. के. सौधिया,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 24 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

परिसमापन (समिति) प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उमरखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2665, दिनांक 18 जून, 1998 को कार्यालयीन आदेश क्रं./परिसमापन/1042, दिनांक 07 अगस्त, 2010 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री सुधीर मोने, उप-अंकेक्षक, को परिसमापक नियुक्त किया गया एवं परिसमापक द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 2012 को संस्था के सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित कर संस्था के कार्य संचालन एवं पुर्नजीवित करने हेतु सदस्यों से चर्चा कर विधिवत्/ठहराव पारित किया गया. उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया. परिसमापक द्वारा प्रस्ताव/ठहराव संलग्न कर संस्था को पुर्नजीवित करने हेतु अनुशंसा की गई है साथ ही नामांकित संचालक मण्डल के नाम प्रस्तावित किये हैं. मेरी राय में संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है. तदनुसार प्रस्ताव से सहमत होते हुए, मैं अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उमरखेड़ी, पंजीयन क्रं 2665, दिनांक 18 जून, 1998 को परिसमापन में लाने के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1042, दिनांक 07 अगस्त, 2010 को समाप्त कर संस्था को पुर्नजीवित करता हूँ. संस्था के कार्य संचालन हेतु नामांकित मण्डल का अनुमोदन किया जाता है.

नामांकित संचालक मण्डल

क्रमांक	नाम	पद	वर्ग
1.	श्री कैलाश कुमार	अध्यक्ष	पि.
2.	श्री तिरपत सिंह	उपाध्यक्ष	पि.
3.	श्री घासीराम	संचालक	पि.
4.	श्री रमेश कुमार	संचालक	पि.
5.	श्री नवल सिंह	संचालक	पि.
6.	श्री धनीराम	संचालक	अ.जा.
7.	श्रीमती गुलाब बाई	संचालक	पि. महिला
8.	श्रीमती हल्की बाई	संचालक	पि. महिला
9.	श्री रहीस कुमार	संचालक	पि. वर्ग

संस्था आदेश दिनांक से 03 माह की अवधि के अन्दर संस्था का निर्वाचन सम्पन्न करायेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(464)

अनिल कुमार,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	सुमंगलम गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	127/28-07-1987
2.	दीप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1488/06-07-1998
3.	जन्मेजय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा	65/25-09-1979
4.	बी. सी. आई. स्टाफ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा	1484/09-06-1998
5.	बैरवा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा	186/16-03-2002
6.	शा. लघु वेतन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर	123/29-01-1989

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, उज्जैन के पत्र क्रमांक/अंके./2012/310, दिनांक 13 सितम्बर, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्थाएं अकार्यशील हैं. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	सुमंगलम गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	127/28-07-1987	श्री डी. एस. बाल्के, व. स. नि.
2.	दीप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1488/06-07-1998	-''-
3.	जन्मेजय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा	65/25-09-1979	-''-
4.	बी. सी. आई. स्टाफ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा	1484/09-06-1998	-''-
5.	बैरवा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा	186/16-03-2002	-''-
6.	शा. लघु वेतन कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर	123/29-01-1989	-''-

यह आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(465)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	बीड़ी मजदूर कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1370/17-11-1994

नियत समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र का जबाव प्राप्त नहीं हुआ और ना ही कोई भी उपस्थित हुआ. उपरोक्त संस्था अकार्यशील हैं एवं उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	बीड़ी मजदूर कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1370/17-11-1994	श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 09 मई, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(465-A)

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नजीरावाद, भोपाल.

पता—ग्राम व पोस्ट नजीरावाद, तहसील वैरसिया, जिला भोपाल.

क्र./परि./2013/721.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नजीरावाद, भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए.आर.बी./279, दिनांक 08 जुलाई, 1987 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/15/1/99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 15 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(466)

आर. एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2013-भाद्र 22, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 29 मई, 2013

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.
2. जुताई.—जिला मंदसौर, नीमच, बुरहानपुर, भोपाल, बैतूल में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
3. बोनी.—जिला पन्ना, खरगौन में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
4. फसल स्थिति.—
5. कटाई.—जिला हरदा में रबी, फसल मूँग की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सागर, उमरिया, राजगढ़, भोपाल, छिन्दवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं.
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 29 मई, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, ज्वार,बाजरा, मक्का, तिल्ली समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिली, मूँगमोठ, तुअर-कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
*जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुंगावली	..		4. (1) चना, गेहूँ, उड़द, मक्का, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. पन्ना	..		चना, जौ, राई-सरसों, अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	..		मटर, आलू, प्याज कम.		
4. पवई	..		(2) ..		
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	..		प्याज समान.		
4. सागर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) उड़द, मूँग सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
*जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ, मसूर, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलियान	..				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2)	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. सीतामऊ	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापीपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर, जौ अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) ..		
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. भामरा	..				
*जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. अलीराजपुर	..		(2) ..		
3. राणापुर	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) उपरोक्त फसल समान.		
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..		
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला प. निमाड :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सनावद	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगौन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्ठान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, सरसों, अलसी, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. खरीफ के लिये जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. बैतूल	..				
4. मुलताई	..				
5. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) गेहूँ अधिक. चना, मटर, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. मूँग की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	..		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
4. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. दीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		अलसी, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मण्डला	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल के लिये	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. डिण्डोरी	..	जुताई का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	..		समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) उड़द, मूँग, मूँगफली, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		राई-सरसों, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला दतिया, गुना, सतना, शहडोल, अलीराजपुर, बड़वानी व नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(453)